

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(अंगोच्छेदन या अंगो की पूरी स्थाई अंगघात और अंधापन की दशा में)
 उ०प्र० सरकार विकलांगजन विकास अनुभाग-3 सं० 519/65-3-2014-82/98 लखनऊ दिनांक- 03 सितम्बर, 2014 के अनुसार
 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा

दिनांक- 15-07-2019

प्रमाण पत्र संख्या- 404

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री /श्रीमती/ कुमारी अशोक कुमार गुप्ता

पुत्र/पत्नी/पुत्री राजशरण विश्वादेई माता का नाम त्रेष्णु गुप्ता

जन्म की तारीख 28/05/1985 आयु वर्ष 34

पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं० 191700040001780

निवासी L-2-h-24, गंगा-1 इन्दिरा नगर डाकघर बाँदा जिला- बांदा



राज्य उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है, की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है और मैं सतुष्ट हूँ। कि

- (क) यह मामला
 1- चलन संबंधी निःशक्तता
 2- नेत्रहीनता का है

B/L shoulder stiffness with paresis @ upper limb

(कृपया जो लागू हो उस पर ठीक का निदान लगाए)
 (ख) उनके मामले में निदान है।

(ग) उन्हे मार्गदर्शक सिद्धान्तों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में.....

45% (अंक में) forty five प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता है।

2- आवेदक के निवास के सदूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:- Umanant

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
<u>आधार कार्ड</u> <u>257169349991</u>	—	<u>भारत सरकार</u>

हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

अशोक कुमार गुप्ता

Vikas
 अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी को प्राधिकृत
 हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिहस्ताक्षरित

[Signature]

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 बांदा

नं०